यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वनाधकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के माह 07/2016 से माह 03/2017 तक के लेखा अभलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीना लेखापरीक्षक तथा श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधकारी द्वारा दिनांक 18.09.2017 से 28.09.2017 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अधकारी के आंशक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं श्री वी.पी. संह सहायक लेखापरीक्षा अधकारी द्वारा श्री के.एल. भट्ट व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 08.07.2016 से 16.07.2016 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से माह 06/2016 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 06/2016 तक के लेखा अभलेखों की लेखा परीक्षा की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 02/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 07/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभलेखों की लेखा परीक्षा की गई है

इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः बागेश्वर नव क्षेत्र

(i) (ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	1335.78
2015-16	1475.99
2016-17	1035.70

(ब) बजट का विवरण:- विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	--	-	930.5	914.52	529.06	514.53	-	30.46
2015-16	-	-	723.1	723.1	495.99	495.99	-	-
2016-17	-	-	824.24	749.97	746.22	716.6	-	103.89

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2016-17	नन्दा देवी कैम्प स्फेयर रिजर्व	-	6.23	6.23	-

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** शासन के द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना राजस्व को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

1. **प्रमुख वन संरक्षक 2.अपर प्रमुख वन संरक्षक 3 मुख्य वन संरक्षक 4. वन संरक्षक 5. प्रभागीय वनाधिकारी**

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्रभागीय वना धकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अं कत कया जाय) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभागीय वना धकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अं कत कया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2017 का चयन व्यय की वस्तरत जांच एवं 03/2016 का चयन अंकग णतीय शुद्धत्ता के लए कया गया

माह 03/2016 का चयन प्राप्तियों की वस्तरत जांच एवं माह 07/2016 का चयन अंकग णतीय शुद्धत्ता के लए कया गया

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर-01 प्रभाग द्वारा लीसा घावों पर कार्य न करने के कारण ₹11.50 लाख की राजस्व क्षति।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के वर्ष 2016-17 के लीसा से संबन्धित अ भलेखों तथा प्रभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान 402361 घावों में लीसा के दोहन का कार्य कया जाना था जब क 397697 घावों पर लीसा के दोहन का कार्य कया गया है तथा 4664 घावों पर कार्य नहीं कया गया। जिससे इन घावों पर निर्धारित लीसा 200.55 कुंतल (4664×4.3 कग्रा प्रति घाव) की आमद नहीं हो पायी। वर्ष 2016-17 के दौरान लीसा की औसत बिक्री दर ₹5735.90 निर्धारित की गयी थी।
इस प्रकार 4664 घावों पर कार्य न होने के कारण ₹1150334.745 (200.55×5735.90) की राजस्व क्षति हुई।
उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क 04 लीसा मेटों द्वारा लीसा गढ़ान कार्य न करने पर उनकी नेक जमानत ₹49172 जब्त कर ली जाएगी तथा लीसा गढ़ान हेतु श्र मक उपलब्ध न होने के कारण वभागीय रूप से लीसा कार्य नहीं कया जा सका।
वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क ठेकेदारों द्वारा कार्य न करने की दशा में वभाग द्वारा वभागीय श्रम के माध्यम से कार्य कराया जाना था। वभाग द्वारा लीसा गढ़ान के लए सार्थक प्रयास न करने के कारण ₹11.50 लाख की राजस्व क्षति हुई।

अतः प्रकरण को शासन एवं उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर-02 लीसा की नीलामी न होने के कारण धनराशि का अवरुद्ध होना ₹ 34.28 करोड़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के अंतर्गत लीसा से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विभिन्न डिपो पर वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 का 50075.63 कुंतल लीसा नीलामी हेतु अवशेष था, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	मोटर रोड डिपो पर अवशेष लीसा मात्रा	जंगल डिपो पर अवशेष लीसा मात्रा	ट्रांसिट में अवशेष लीसा मात्रा	रेल हेड/ पायाखम डिपो को संभारित लीसा मात्रा (कु. में)	कुल योग (2+3+4+5) (कु. में)	औसत बिक्री दर	कुल धनराशि ₹ में
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2014	0	0	0	15526.420	15526.420	7606.81	118106526.92
2015	0	0	0	15230.520	15230.520	7479.15	113911343.658
2016	6471.740	31.250	4.570	12811.130	19318.690	5735.90	110810073.971
योग	**6471.74**	**31.25**	**4.57**	**43568.07**	**50075.63**	**-**	**342827944.549**

उक्त अवशेष ₹50075.63 कुंतल लीसा का निस्तारण न होने के कारण ₹34,28,27,944/- की धनराशि अवरुद्ध है।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि लीसे का बाजार में मूल्य गिरने से क्रेताओं द्वारा पर्याप्त मात्रा में लीसा नहीं उठाया जा रहा है। लीसे की नीलामी की कार्यवाही प्रतिमाह की जा रही है। नीलामी की कार्यवाही लीसा डिपो काठगोदाम द्वारा की जाती है।

अतः विभाग द्वारा लीसे की नीलामी न करने के कारण ₹34.28 करोड़ की धनराशि के अवरुद्ध रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर-03 रॉयल्टी जमा न कया जाना ₹3.08 लाख।

उत्तराखण्ड राज्य खनिज नीति विषयक उत्तराखण्ड राज्य खनिज नीति 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करते हुये उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–2 के पत्र संख्याः 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18 जनवरी 2013 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुंसार नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स बजरी/गिटटी बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू आदि उठाने **पर ₹90.00 प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी जमा करने का प्रावधान है।**

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रभाग के विभिन्न राजियों के द्वारा सम्पादित कार्यो में रेंता/बजरी/पत्थरों का उपयोग नजदीकी स्थान से चुगान कराकर किया गया **था** तथा **जिसके** सापेक्ष ₹**307509.21 (सूची संलग्न) की रायल्टी वभाग द्वारा अदा की जानी थी परंतु वभाग द्वारा कोई भी रायल्टी अदा नहीं की गयी है।**

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क कोई रॉयल्टी जमा नहीं की गयी है। भ वष्य में रॉयल्टी जमा करा दी जाएगी।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

जुलाई 2016 से मार्च 2017 तक कराये गए निर्माण कार्य पर देय रॉयल्टी

राजि का नाम	कार्य का नाम	चुगान स्थान	उपयोग की गयी आर बी एम की मात्रा (घन मी0 में)	देय रॉयल्टी की धनराशि ₹ 90 / घन मीटर की दर से
कपकोट	जगथाना से सुकुण्ड़ा तालाब तक 5.00 किमी0 पैदल मार्ग मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 85.92 घन मी0	7732.8
कपकोट	हिचौड़ी लीसा डिपों से रेंज कार्यालय पैदल मार्ग मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 83.04 घन मी0	7473.6
कपकोट	लीसा ड़िपों कपकोट में सुरक्षा दिवाल मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 51.31 घन मी0 रेता– 18.07 घन मी0 कंकड़–7.21 घन मी0	6893.1
कपकोट	जखेड़ी ब्लाक में आर0सी0सी0 पीलर नव निर्माण	स्थानीय नदी नालों से	रेता 2.20 घन मी0 कंकड़–7.21 घन मी0	846.9
कपकोट	पुगर द्वितीय बीट में आर0सी0सी0 पीलर नव निर्माण	स्थानीय नदी नालों से	रेता 11.16 घन मी0 कंकड़–17.98 घन मी0	2622.6
कपकोट	कफलटौक ब्लाक में आर0सी0सी0 पीलर नव निर्माण	स्थानीय नदी नालों से	रेता 3.94 घन मी0 कंकड़–6.12 घन मी0	905.4
कपकोट	कालीधार क0 3 के नाले में आर0आर0 पत्थरों में अवरोधक	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 5.625 घन मी0	506.25
कपकोट	बास्ती बीट में आर0सी0सी0 पीलर नव निर्माण	स्थानीय नदी नालों से	रेता 3.85 घन मी0 कंकड़–5.29 घन मी0	822.6
बागेश्वर	बिलखेत क0 5 में आर0आर0 ड्राइ दीवाल बनाना	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर 6.60 घन मी0	594
बागेश्वर	प्र0व0 कार्या0 में रंग रोगन/मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	रेता 4.00 घन मी0	360
बागेश्वर	प्र0कै0 कार्या0 में मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–1.20 घन मी0 रेता 5.00 घन मी0 कंकड़–2.00 घन मी0	738
बागेश्वर	प्र0व0 कार्या0 में रंग रोगन/मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	रेता 1.00 घन मी0 कंकड़–2.00 घन मी0	270
बागेश्वर	कठायतबाड़ा से गावलीगैर मार्ग	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–16.25 घन मी0 रेता 5.50 घन मी0 कंकड़–10.53 घन मी0	2905.2

बागेश्वर	उप प्र0 व0 आवास में सोक पिट/मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–9.60 घन मी0 रेता 3.27 घन मी0 कंकड़–0.78 घन मी0	1228.5
बागेश्वर	सरना व0र0 चौकी में मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–19.54 घन मी0 रेता 26.00 घन मी0 कंकड़–20.00 घन मी0	5898.6
बागेश्वर	कनगाड़छीना लीसा डिपों में अग्नि सुरक्षा	स्थानीय नदी नालों से	रेता 18.50 घन मी0	1665
बागेश्वर	बालीघाट लीसा डिपों में अग्नि सुरक्षा	स्थानीय नदी नालों से	रेता 18.50 घन मी0	1665
बागेश्वर	द्यांगण लीसा डिपों में अग्नि सुरक्षा	स्थानीय नदी नालों से	रेता 38.00 घन मी0	3420
बागेश्वर	छतीना लीसा डिपों में अग्नि सुरक्षा	स्थानीय नदी नालों से	रेता 50.00 घन मी0	4500
बागेश्वर	हबल गार्डन कठायतबाड़ा में क्षतिग्रस्त दीवाल निमार्ण	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–43.20 घन मी0 रेता 2.27 घन मी0	4092.3
बागेश्वर	प्र0कै0कार्या0 की मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	रेता 12.50 घन मी0	1125
बागेश्वर	जिन्तोली क्रू–स्टेशन में अग्नि सुरक्षा	स्थानीय नदी नालों से	रेता 1.00 घन मी0 कंकड़–2.27 घन मी0	294.3
बागेश्वर	सलानी क्रू–स्टेशन में अग्नि सुरक्षा	स्थानीय नदी नालों से	रेता–1.50 घन मी0 कंकड़–3.00 घन मी0	405
बागेश्वर	गढ़खेत क्रू–स्टेशन में अग्नि सुरक्षा	स्थानीय नदी नालों से	रेता–1.50 घन मी0 कंकड़–3.00 घन मी0	405
बागेश्वर	नक्षत्र वाटिका छतीना में दीवाल निमार्ण व अवरोधक निर्माण	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–78.20 घन मी0	7038
बागेश्वर	द0 खबड़ाली क0 2 में चाल–खाल में दिवाल	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–6.60 घन मी0	594
बागेश्वर	बिलखेत क0 6 में चाल–खाल मं दिवाल व चैक डैम	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–43.80 घन मी0	3942
बागेश्वर	बिलखेत क0 5 में चाल–खाल मं दिवाल	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–6.30 घन मी0	567
बागेश्वर	वन पंचायत ओरें मं चाल–खाल में दिवाल निर्माण	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–13.20 घन मी0	1188

बागेश्वर	धुराफाट अनु0 मं सीमा पीलर निर्माण	स्थानीय नदी नालों से	रेता 7.14 घन मी0 कंकड़– 6.12 घन मी0	1193.4
बागेश्वर	सरना व0र0 चौकी में पीट/निमाण मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–10.97घन मी0 रेता 4.00 घन मी0 कंकड़–1.00 घन मी0	1437.3
बागेश्वर	सरना व0र0 आवास की मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–11.97 घन मी0 रेता 31.50 घन मी0 कंकड़–30.00 घन मी0	6612.3
गढ़खेत	गढ़खेत मो0 मार्ग0 से गढ़खेत डिपों तक खडन्जा	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–26.10 घन मी0 रेता 14.58 घन मी0 कंकड़–21.15 घन मी0	5564.7
गढ़खेत	रूकनैया में दाडिमखेत पैदल मार्ग मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–128.51 घन मी0	11565.9
गढ़खेत	भिलकोट से इडिया पैदल मार्ग मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–132.21 घन मी0	11898.9
गढ़खेत	घेटी से कुलाऊ पैदल मार्ग मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–108.98 घन मी0	9808.2
गढ़खेत	उड़खुली से तिलसारी पैदल मार्ग मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–130.32 घन मी0	11728.8
गढ़खेत	अयारतोली क0 6 से जगदानी से बगलाधार तक पैदल मार्ग मरम्मत	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–105.48 घन मी0	9493.2
गढ़खेत	कुलाऊ व्लाक में आर0सी0सी0 पीलर नव निर्माण	स्थानीय नदी नालों से	रेता 7.00 घन मी0 कंकड़– 14.00 घन मी0	1890
धरमघर	खडलेख से झण्डीधार तक पैदल मार्ग मरम्मत कार्य 3 किमी0	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 125.180 घन मी0	11266.2
धरमघर	रमाड़ी बैण्ड के प्रथम बैण्ड (मिलन बैण्ड़) से नानी पन्याली तक पैदल मार्ग मरम्मत कार्य 3 किमी0	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 110.46 घन मी0	9941.4
धरमघर	धामपुर से तुसरेड़ा तक पैदल मार्ग मरम्मत कार्य 2 किमी0	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 88.380 घन मी0	7954.2
धरमघर	अन्नपूर्णा से देवतोली तक पैदल मार्ग मरम्मत कार्य 2 किमी0	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 100.620 घन मी0	9055.8
धरमघर	गढदेवी मंदिन से पत्थरखानी तक पैदल मार्ग मरम्मत कार्य 4 किमी0	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 110.46 घन मी0	9941.4

धरमघर	एजडिया मंदिर से कालापैर कापडी पैदल मार्ग मरम्मत कार्य 5 किमी0	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 149.20 घन मी0	13428
धरमघर	चौकोडी बेरीनाग क0 से0 1 से 4 तक पैदल मार्ग मरम्मत कार्य 3.40 किमी0	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 120.45 घन मी0	10840.5
धरमघर	वास्ती बीट में सीमा पीलर निमार्ण कार्य	स्थानीय नदी नालों से	रेता–0.174 घन मी0 कंकड़–13.60 घन मी0	1239.66
बैजनाथ	कौसनी आरक्षित में सीमेट चैक डैम निर्माण कार्य	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 16.80 घन मी0 रेता–5.39 घन मी0	1997.1
बैजनाथ	कुलाऊ कक्ष सं0 30 एंव 25 में कन्टूर ट्रेन्च निर्माण कार्य	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर–19.80 घन मी0	1782
बैजनाथ	बडेत से लौहार चौरा तक पैदल मार्ग मरममत कार्य 3 किमी0	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 107.19घन मी0	9647.1
बैजनाथ	रेंज कार्यालय बैजनाथ की मरम्मत कार्य	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 3.00 घन मी0 रेता– 8.92 घन मी0 कंकड़–14.35 घन मी0	2364.3
बैजनाथ	लखनी से बारखू तक पैदल मार्ग मरम्मत कार्य 10 किमी0	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 129.36 घन मी0	11642.4
बैजनाथ	लौबाज वन पंचायत से कौसानी तक पैदल मार्ग मरम्मत कार्य 3.50 किमी0	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 117.80 घन मी0	10602
बैजनाथ	मजकोट सुरताल से अयारी महादेव पैदल मार्ग मरम्मत कार्या 10 किमी0	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 129.36 घन मी0	11642.4
बैजनाथ	सरला आरक्षित में 8 है0 क्षेत्र में काटेदार तार से घेर बाड़ कार्य	स्थानीय नदी नालों से	रेता– 3.51 घन मी0 कंकड़– 7.02घन मी0	947.7
बैजनाथ	वन पंचायत लस्करखेत में चाल खाल निर्माण कार्य	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 8.40 घन मी0	756
बैजनाथ	कुलाऊ क0 क्ष0 27 में चाल खाल व कन्टूर टैन्च निमार्ण कार्य	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 52.80 घन मी0	4752
बैजनाथ	शिखरकोट तृतीय बीट में आर0सी0सी0 पीलर निर्माण कार्य	स्थानीय नदी नालों से	रेता– 3.10 घन मी0 कंकड़– 5.94 घन मी0	813.6
बैजनाथ	कौसानी पगलकोटर भगवती मंदिर तक एप्रोच मार्ग में अतिरिक्त मरम्मत कार्य	स्थानीय नदी नालों से	कंकड़– 267 घन मी0	24030
ग्लेशियर	पिण्डारी बुग्याल बजरलिगधार में चैक डेम निर्माण कार्य	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 9.30 घन मी0	837

ग्लेशियर	बैलूनी से सुरगॉड तक पैदल र्माग मरम्मत कार्य	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 47.25 घन मी0	4252.5
ग्लेशियर	सोराग से ढोल ढूगा तक पैदल र्माग मरम्मत कार्य	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 10.30 घन मी0	927
ग्लेशियर	पिण्डारी बुग्याल के राताताेक में चैक डेम निर्माण कार्य	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 6.98 घन मी0	628.2
ग्लेशियर	खाती में सिचाई टैक निर्माण कार्य	स्थानीय नदी नालों से	पत्थर– 24.25 घन मी0 रेता– 11.64 घन मी0 कंकड़–12.22 घन मी0	4329.9
योग				307509.21

प्रतिवेदन संख्या - RS/FR-73/2016-17

राजस्व से संबन्धित

STAN-1

प्रस्तर-01 ₹16550 की जमानत जब्त कर राजस्व में जमा न कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 के पत्र संख्या: 512/x-2-2013-12(34)/2005 दिनांक 08 मार्च 2013 के अनुसार उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अ धनियम 1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अंतर्गत वृक्ष पातन हेतु अनुज्ञा के एवज में जमा एन एस सी की धनरा श, प्रार्थीगणों द्वारा उक्त वृक्षारोपण एवं उनके रखरखाव न करने पर जमा जमानत को जब्त करके राजस्व में जमा कया जाना है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक की उपलब्ध करायी गयी एन एस सी में से ₹16550 की एन एस सी ऐसी पायी गयी जिन्हे 3 वर्ष या उससे अ धक पूर्ण होने के उपरान्त भी जमा कर्ता द्वारा वापस लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसी एन एस सी को उक्त नियमानुसार राजस्व में जमा कया जाना था जो क वभाग द्वारा नहीं कया गया।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क जमानत की धनरा श जिसकी एन एस सी/एफ डी आर जो तीन वर्ष से अ धक समय से जमा है, राजस्व में जमा करने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

STAN-2

प्रस्तर-0**2** कर्मचारियों/ अ धकारियों द्वारा ₹66,**500** की प्रतिभूति रा श का जमा न कया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा जमानत जमा से संबन्धित दी गयी सूचना के आधार पर निम्न ल खत अ धकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवशेष जमानत धनरा श जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनरा श	जमा धनरा श	अवशेष रा श
1	श्री गरधारी संह कार्की	प्रधान सहायक	2000	1500	500
2	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी	वरिष्ठ सहायक	2000	0	2000
3	श्री कुण्डल संह भण्डारी	कनिष्ठ सहायक	2000	0	2000
4	श्री देवेंद्र प्रसाद तिवाड़ी	वन दरोगा	10000	4000	6000
5	श्री देवी दत्त जोशी	वन दरोगा	10000	4000	6000
6	श्री वंशीधर अंडोला	वन दरोगा	10000	4000	6000
7	श्री प्रेम संह बिष्ट	वन दरोगा	10000	0	10000
8	श्री रमेश चन्द्र	वन दरोगा	10000	4000	6000
9	श्री आनन्द बल्लभ	वन आरक्षी	4000	0	4000
10	श्री र व प्रसाद	वन आरक्षी	4000	0	4000
11	श्री गंगा राम	वन आरक्षी	4000	0	4000
12	श्री अ मत कनारी	वन आरक्षी	4000	0	4000
13	श्री दीपक नौटियाल	वन आरक्षी	4000	0	4000
14	श्री पूरन चन्द्र पाठक	वन आरक्षी	4000	0	4000

15	श्री चन्द्र संह परिहार	वन आरक्षी	4000	0	4000
योग					**66500**

उक्त के संबंध में इंगत कया जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क क्रम संख्या 01 व 02 में अंकत कर्मचारियों की जमानत की एन एस सी की अवधि पूर्ण होने पर संबन्धित कार्मकों को प्रयावर्तित की गयी है। इनसे नयी एन एस सी प्राप्त कर आपके कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा। क्रम संख्या 03 से 15 में अंकत कर्मचारियों से जमानत की धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त आपके कार्यालय को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर-0**4** सक्षम प्रा धकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त कए बिना कार्यों को पूर्ण कराया जाना ₹1.26 करोड़।

उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 43 (ग) के अनुसार कोई कार्य को तब तक प्रारम्भ न कया जाए जब तक क सक्षम प्रा धकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।
उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक:245/xxvii(7)/2012, दिनांक: 22.11.2012 के अनुसार वृक्षारोपण व अन्य वानिकी कार्यों के आगणनों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उप वन संरक्षक/ प्रभागीय वना धकारी को ₹5.00 लाख की सीमा तक अ धकार प्रदत्त कया गया है तथा इसके ऊपर ₹10.00 लाख की सीमा तक वन संरक्षक/निदेशक को अ धकार प्रदत्त है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के वर्ष 2016-17 के अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लए सक्षम अ धकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है और न ही ₹5.00 लाख से अ धक के वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्यों के आगणनों की स्वीकृति सक्षम अ धकारी से प्राप्त की गयी है। प्रभाग द्वारा ₹4517500 की लागत के 17 निर्माण/मरम्मत कार्यों (संलग्न-अ) एवं ₹8055922 की लागत के 12 वृक्षारोपण एवं अन्य वानिकी कार्यों (संलग्न-ब) को बिना सक्षम प्रा धकारी की स्वीकृति के सम्पन्न करा दिये गए तथा संप्रेक्षा ति थ (सतम्बर 2017) तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्रा धकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क संलग्नक-अ में क्रम संख्या 01 से 17 तक के कार्यों की स्वीकृति के लए कार्योत्तर स्वीकृतियाँ सक्षम अ धकारियों से आवेदित की जाएगी। संलग्नक-ब में क्रम संख्या 01 से 08 तक उपरोक्तानुसार तथा क्रम संख्या 09 से 24 तक के कार्यों में अ ग्रम मृदा कार्य तथा अगले वर्ष कए जाने वाले वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण की धनरा श भी जोड़ दी गयी है। बिन्दु संख्या 18,20,21,22 में वत्तीय स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रे षत कया गया है। क्रम संख्या 09,10,11,12,13,14,15,16,17,19,23,24 की प्रथम वर्ष की धनरा श ₹5.00 लाख से कम होने पर प्रभाग स्तर से ही कार्यों का सम्पादन कया गया है।

अतः सक्षम प्रा धकारी द्वारा ₹12573422 की स्वीकृति प्राप्त न कए जाने के प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-अ

क्रम संख्या	कार्य का नाम	धनरा श
1.	जैकुनी से डोर तक पैदल मार्ग कुल लम्बाई 4 कमी में मरम्मत कार्य।	222500
2.	फुर कया में संचाई टैंक निर्माण कार्य।	154000
3.	सरला आर क्षत क्षेत्र में अवस्थित वाच टावर की मरम्मत कार्य करना।	60000
4.	पुंगर द् वतीय बीट में वनो की सुरक्षा हेतु आर सी सी पीलर निर्माण कार्य।	310000
5.	जखेड़ी ब्लॉक में वनों की सुरक्षा हेतु आर सी सी पीलर निर्माण कार्य।	100000
6.	सोराग से ढोलडुंगा तक पैदल मार्ग कुल लम्बाई 4 कमी में मरम्मत कार्य।	222500
7.	मनी हर्बल गार्डेन में छुटपुट मरम्मत व अनुरक्षण कार्य।	215000
8.	प्रभागीय कैंप कार्यालय की छुट पुट मरम्मत एवं रंग रोगन कार्य।	214000
9.	कुलाऊ प्रथम एवं द् वतीय बीट में आर सी सी पीलर निर्माण कार्य।	203900
10.	पंडारी बुगयाल में वकास एवं संरक्षण के अंतर्गत बैलुनी से सुरगाड तक पैदल मार्ग कुल लम्बाई 4 कमी में मरम्मत कार्य।	222500
11.	कैम्पा योजना अंतर्गत वासती ब्लॉक में आर सी सी पीलर निर्माण कार्य।	99025
12.	शखरकोट तृतीय बीट में आर सी सी पलर निर्माण कार्य।	99025
13.	धरमघर वन क्षेत्र अंतर्गत लेटला अनुभाग के बास्ती बीट में आर सी सी सीमा स्तम्भ निर्माण कार्य।	99025
14.	वागेश्वर वन क्षेत्र अंतर्गत धूराफाट सेक्शन में आर सी सी पीलर निर्माण कार्य।	99025
15.	सरना वन रक्षक चौकी की मरम्मत कार्य।	495000
16.	सरना वन रक्षक चौकी में पट निर्माण कार्य व वद्युत फटिंग कार्य।	62000
17.	कौसानी पंगलकोट भगवती मंदिर अप्रोच मार्ग का अवशेष कार्य।	1640000
योग		**4517500**

संलग्नक-ब

क्रम संख्या	कार्य का नाम	धनरा श
1.	गरुड़ कक्ष संख्या 29 में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य।	596750
2.	शखरकोट कक्ष संख्या 43 में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य।	596750
3.	औषधी पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन के अंतर्गत सरला आर क्षत में 8 हेक्टेयर क्षेत्र में अ ग्रम मृदा व वृक्षारोपण कार्य।	593000
4.	कुलाऊ कक्ष संख्या 11 में 13 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य।	775775
5.	कुलाऊ कक्ष संख्या 15 में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य।	596750
6.	दशौली कक्ष संख्या 3 में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य।	596750
7.	चौकोडी बेरीनाग कक्ष 18 में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य।	596750
8.	औषधी पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन के अंतर्गत बूमधार कक्ष संख्या 4 में 7 हेक्टेयर क्षेत्र में अ ग्रम मृदा एवं वृक्षारोपण कार्य।	528000
9.	लीती रिठकुला सानगाड मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभा वत भू म सापेक्ष लीती कक्ष संख्या 6 में 11.72 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य।	873586
10.	ढालन-खुलौनी मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभा वत भू म सापेक्ष नौकोड़ी स वल में 9.98 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य।	765331
11.	खड्लेख-भनार मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभा वत भू म सापेक्ष बास्ती कक्ष संख्या-09 में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य।	799840
12.	खड्लेख-भनार मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभा वत भू म सापेक्ष बूमधार कक्ष संख्या-1 में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य।	736640
योग		**80,55,922**

व्यय से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर-0**5** प्रभाग द्वारा 153.0562 हेक्टेयर अतिक्र मत भू म को अपने कब्जे में न लया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रभाग के अंतर्गत चार रेंजों में वर्ष 1955 से 153.0562 हेक्टेयर भू म पर 366 अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कया गया है। इन प्रकरणों में अतिक्रमण हटाये जाने हेतु कार्यालय द्वारा वन क्षेत्रा धकारियों को दिनांक 11.09.2013 व 20.03.2015 को पत्र लखा गया था। उक्त अतिक्र मत भू म का ववरण निम्न है।

क्रम संख्या	रेंज का नाम	क्षेत्रफल	अतिक्रमणकारियों की संख्या
1	गढ़खेत	134.4943	260
2	बैजनाथ	9.1534	53
3	बागेश्वर	8.2785	47
4	कपकोट	1.1300	6
	योग	**153.0562**	**366**

उक्त अतिक्र मत भू म के अ धकतर प्रकरणों में न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश पारित कर दिये गए है, कन्तु वभाग द्वारा इस सम्बंध में कोई ठोस कार्यवाही कए जाने का पत्रावली में कोई साक्ष्य नहीं है।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क माननीय न्यायालय द्वारा अतिक्र मत क्षेत्र हटाने के निर्देश दिये गए है। इस संबंध में संबन्धित वन क्षेत्रा धकारियों को ल खत व मौ खक रूप से निर्देश दिये गए है। प्रकरण पर उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

STAN-03

प्रस्तर-0**3** वृक्षों के पातन के सापेक्ष **₹**23000 की जमानत जमा न कया जाना।

उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड में ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण संरक्षण अ धनियम 1976 की धारा vi(ए एस) के प्रावधानों के तहत कसी निजी भू स्वामी द्वारा अपने पेड़ों के कटान हेतु ₹ 100 प्रति वृक्ष की दर से फीस जमा करके वन वभाग से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। उक्त धनरा श वगत वर्षों में ₹100 से बढ़ाकर ₹ 1000 प्रति पेड़ कर दी गयी है। आगामी वर्षाकाल में यदि उक्त निजी भू स्वामी एक पेड़ के स्थान पर दो पेड़ लगाकर इसका सत्यापन वन वभाग से करवा लेता है तो उक्त फीस वापस कर दी जाएगी अथवा उक्त धनरा श जब्त करके वन वभाग द्वारा स्वयं वृक्षारोपण करने का प्रावधान है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के अ भलेखों की जांच में पाया गया क वर्ष 2016-17 में 23 पेड़ काटने की अनुज्ञा ऐसी जारी की गयी थी जिसके सापेक्ष जमानत के रूप में प्रति पेड़ 1000 की दर से ₹23000 जमा नहीं कए गए। जब क उक्त वर्ष में 23 पेड़ काटने हेतु जमानत की रा श ₹ 1000 प्रति पेड़ की दर से ₹23000 जमा कराई जानी थी। इस प्रकार वभाग द्वारा ₹23000 जमानत की रा श कम जमा कराई गयी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क शेष बचे वृक्षों के संबंध में जमानत की एन एस सी की रा श जमा करने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित

STAN-04

प्रस्तर-0**4** **₹**2.29 लाख के उपयो गता प्रमाण पत्र वन पंचायतों से प्राप्त न कया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा कैम्पा योजना के अंतर्गत चारागाह वकास योजना में वर्ष 2016-17 में व भन्न पंचायतों को धनरा श ₹2525000 उपलब्ध कराई गयी थी। वन पंचायतों को दी गयी उक्त धनरा श में से ₹228910 (सूची संलग्न) के उपयो गता प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क ₹228910 की धनरा श के उपयो गता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पाये है, जिन्हे प्रे षत करने हेतू संबन्धित वन क्षेत्रा धकारियों को निर्दे शत कया गया है। उक्त वन पंचायतों को कार्यालय स्तर से भी उपयो गता प्रमाण पत्र हेतु निर्दे शत कया जा रहा है, प्राप्त होने पर अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>संलग्नक</u>

क्रम संख्या	वन पंचायत का नाम	वन पंचायतों को दी गयी धनरा श	धनरा श जिसका उपयो गता प्रमाणपत्र वन पंचायतों से प्राप्त नहीं हुआ है।
1.	तोली	109782	29782
2.	शामा	109782	29782
3.	लीती	109782	29782
4.	चूचेर	109782	29782
5.	खनेराधार	109782	109782
		योग	**228910**

व्यय से संबन्धित

भाग-2 ब

प्रस्तर-06 निरर्थक व्यय ₹10.27 लाख।

महिला पौधशाला को अनुदान दिये जाने का मुख्य उद्देश्य माहिलाओ के जीवकोपार्जन करने हेतु महिलाओं की आ र्थक स्थिति में सुधार लाना है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध कराई गयी महिला पौधालय से संबन्धित सूचना के अनुसार वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभाग के अंतर्गत 07 महिला पौधालय (बागेश्वर, कपकोट, गढ़खेत, बैजनाथ, धरमघर, ग्ले शयर एवं बैजनाथ) स्था पत थी। इन महिला पौधालयों में से वर्ष 2012-13 में 04 महिला पौधालयों को ₹300000, वर्ष 2013-14 में 04 महिला पौधालयों को ₹306000, वर्ष 2014-15 में 06 महिला पौधालयों को ₹400000, वर्ष 2015-16 में 03 महिला पौधालयों को ₹156000 का अनुदान दिया गया था एवं वर्ष 2016-17 में कसी भी महिला पौधशाला को अनुदान की धनरा श उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। इस प्रकार वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के दौरान 07 महिला पौधालयों को कुल ₹1162000 का अनुदान दिया गया था। वर्ष 2016-17 में मात्र एक ही महिला पौधशाला (ग्ले शयर) कार्यरत थी।

उक्त 07 महिला पौधशालाओं में से 06 महिला पौधशालाओं के कार्यरत न होने के कारण इनको दिया गया अनुदान ₹1026550 का व्यय निरर्थक रहा।

उक्त के संबंध में इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
09६2011.12	01	01	
02६2015.16	-	01,02	01
01६2016.17	01	01	

व्यय से संबंधी :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
26/2003-04	01,02,03,04	01,02,03,04	
28/2004-05	-	01,02,03	
13/2005-06	01	01,02	
09/2011-12	01	01,02	
02/2015-16	01	01,02,03	01
01/2016-17	-	01	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य- टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वनाधकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री एम बी संह	प्रभागीय वन धकारी

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति प्रभागीय वनाधकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अधिकारी